



पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि०

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

मानव संसाधन एवं प्रशासनिक विभाग

विद्युत भवन, नजदीक-आई०एस०बी०टी० क्रासिंग, सहारनपुर रोड़, माजरा, देहरादून-248002

दूरभाष नं० 0135-2645249 फैक्स नं० 0135-2645249 email:- hr@ptcul.org

पत्रांक : 1633 / मा०सं०एवंप्र०वि० / पिटकुल / पी-5

दिनांक : 10.09.2021

कार्यालय आदेश

एतद्वारा कारपोरेशन आदेश सं० 981 / मा०सं०एवंप्र०वि० / पिटकुल / पी-5 दिनांक 18.05.2021 के क्रियान्वयन में आ रही व्यावहारिक कठिनाईयों के दृष्टिगत पिटकुल के कार्मिकों तथा उन पर पूर्णतया आश्रित परिजनों एवं पारिवारिक पेंशनरों द्वारा कोरोना संक्रमण का उपचार उक्त आदेश के निर्गमन की तिथि अर्थात् दिनांक 18.05.2021 से पूर्व एवं पश्चात्, प्रदेश में अथवा प्रदेश के बाहर किसी भी चिकित्सालय में करवाया गया है अथवा करवाया जाता है तो उसकी शत-प्रतिशत प्रतिपूर्ति अनुमन्य होगी।

उपर्युक्त व्यवस्था मात्र कोविड-19 से ग्रसित रोगियों के उपचार हेतु ही मान्य होगी।

उपर्युक्त आदेश मात्र इस सीमा तक ही संशोधित समझा जाय।

पत्रांक : 1633 / मा०सं०एवंप्र०वि० / पिटकुल / पी-5 तददिनांकित।

प्रतिलिपि: प्रबन्ध निदेशक, पिटकुल, देहरादून के संज्ञानार्थ।

प्रबन्ध निदेशक

(पी०सी० ध्यानी)
निदेशक (मा०सं०)

पत्रांक : 1633 / मा०सं०एवंप्र०वि० / पिटकुल / ईओ-13 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निदेशक (परिचालन) / (परियोजना) / (वित्त), पिटकुल, देहरादून।
2. समस्त मुख्य अभियन्ता / महाप्रबन्धक / अधीक्षण अभियन्ता / उपमहाप्रबन्धक, पिटकुल.....।
3. अधिशासी अभियन्ता (सू०प्रौ०), पिटकुल, देहरादून को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त आदेश कारपोरेशन की वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
4. समस्त अधिशासी अभियन्ता, पिटकुल.....।
5. वरिष्ठ लेखाधिकारी, पिटकुल, देहरादून को उनके पत्रांक 725 / अधि०एवंपें०(वि०) / पिटकुल / लेखास्कन्ध दिनांक 21.08.2021 के द्वारा मांगे गये दिशा-निर्देशों के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. सम्बन्धित पत्रावली।

(पी०सी० ध्यानी)
निदेशक (मा०सं०)